

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय,

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1-03/राजस्व/राहत/2017/253

रायपुर, दिनांक 6/03/2017

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला बैमेतरा  
छत्तीसगढ़

विषय:—राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत अनुदान सहायता हेतु आबंटन वर्ष 2016-17

संदर्भ:— आपका अद्वा शासकीय पत्र क्रमांक 6879 दिनांक 02.01.2017

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिले में आकस्मिक वर्षा के कारण सोयाबीन फसल क्षति एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को तत्काल आर्थिक अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से मांग संख्या—58, मुख्यशीर्ष—2245—दैविय विपत्तियों के संबंध में राहत, के अन्तर्गत रूपये 560.00 लाख (रूपये पांच करोड़ साठ लाख मात्र) विभिन्न मुख्य/लघु शीर्षों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आबंटन सौंपा जाता है।

2. उपरोक्त आबंटन मांग संख्या 58 मुख्यशीर्ष 2245 दैविय विपत्तियों के संबंध में राहत—02 बाढ़—114 किसानों को कृषि निवृष्टियों के लिए सहायता—7357 बाढ़ अनुदान आदि में सहायता—14 सहायक अनुदान—012 अन्य अनुदान मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त आबंटन जिस मुख्य/लघु शीर्ष में दिया जा रहा है, आहरण/व्यय भी उसी मद के अन्तर्गत किया जावे।

4. उपरोक्त आबंटन का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जावें। व्यय की प्रत्याशा में एक मुश्त राशि आहरण किसी भी परिस्थिति में बिना शासन अनुमति के नहीं किया जावें।

5. उक्त आबंटन के विरुद्ध किये गये आहरण एवं व्यय की जानकारी आगामी माह के 7 तारीख तक मासिक व्यय पत्रक भिजवाना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि आबंटन से अधिक राशि आहरण की जाती है, तो तत्काल मांगपत्र शासन को समायोजन हेतु भेजे।

///2//

6. उपरोक्त आबंटन का उपयोग 31.03.2017 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आबंटित राशि में से कोई राशि आहरण/व्यय हेतु शेष रहती है तो उस स्थिति में बचत राशि का समर्पण शासन को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(नीलकंठ टीकाम)  
संयुक्त सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1-03 / राजस्व / राहत / 2017/254 नया रायपुर, दिनांक 6/03/2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी छत्तीसगढ़ रायपुर।
3. संभागीय आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग छत्तीसगढ़।
4. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन नया रायपुर।
6. जिला कोषालय अधिकारी बेमेतरा छत्तीसगढ़।
7. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर।
9. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

6|3|17  
संयुक्त सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग